

## **Office of the District Basic Education Officer**

### AZAMGARH

# CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **<u>RADHIKA PUBLIC SCHOOL, VEERBHANPUR, MEHNAGAR,</u>** <u>**AZAMGARH**</u> is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to RADHIKA PUBLIC SCHOOL is 73. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

Old

2. DATE OF ISSUE

20-01-2023(DD/MM/YYYY)

3.	Recognition	Туре
----	-------------	------

4. School Type

Pre Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

73

DATE:- 20-01-2023

PLACE:- AZAMGARH

District Basic Education Officer 11d Under 2025 Control 12:19:41 Reason: For Digital Signature Location: AZAMGARH

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

अंग्रेजी माध्यम

### कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक-सेवा में,

/2016-17

दिनांक- 30- 6- 16

प्रबन्धक,

4565-68

आजमगढ।

राधिका पब्लिक स्कूल वीरमानपुर (मेंहनगर)

विषय:-- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण--पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं राधिका पब्लिक स्कूल वीरमानपुर (मेंहनगर), आजमगढ़ को दिनांक--01 जुलाई, 2015 से कक्षा LKG से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:--

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध–2) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में ) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथम बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता--पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशवतता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की मर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है. परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

0

(2)

8-

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:--विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल--कुल निर्मित क्षेत्र क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल कक्षाओं की संख्या प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह मंडागार के लिए कक्ष बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय पेयजल मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर बाधारहित पहुँच अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता। विद्यालय परिसर के मीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई जैन जनक जनके न्हें क

- 9- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2015/7.2.) है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करत है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय.

(राकेश कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पू०सं० /

### /2016-19/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(राकेश /कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

cs Scanned with CamScanner